

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

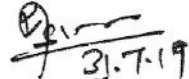
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1523 /2019 दिनांक : 1.8.19

श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 08.07.2019 से 10.07.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 07.07.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

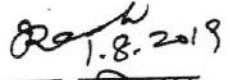

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/12/1993/ 157

दिनांक : 1-8-19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 71 दिनांक 11.07.2019 के सन्दर्भ में।
3. श्री अजय सिंह (RJ0125), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 01, चित्तौड़गढ़।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ मामलात, क्रम- 02, चित्तौड़गढ़।


सहायक रजिस्ट्रार